रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-06052026-272222
CG-MH-E-06052026-272222

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 302] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 30, 2026/वैशाख 10, 1948
No. 302] NEW DELHI, THRUSDAY, APRIL 30, 2026/VAISAKHA 10, 1948

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 30 अप्रैल, 2026

विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राधिकृत व्यक्ति) विनियमावली, 2026

अधिसूचना सं. फेमा 401/2026-आरबी.— देशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (एच) के साथ पठित धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनाता है, अर्थात-

अध्याय I - प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राधिकृत व्यक्ति) विनियमावली, 2026 कहा जाएगा।

(2) यह विनियमावली सरकारी राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. परिभाषा - (1) इस विनियमावली में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यहां परिभाषित शब्दों के नीचे दिए गए अर्थ होंगे, तथा उनके सजातीय अभिव्यक्तियों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा, -

(क) “अधिनियम” का अर्थ है विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42);

(ख) "वार्षिक विदेशी मुद्रा कारोबार" का अर्थ है किसी प्राधिकृत व्यक्ति या विदेशी मुद्रा प्रतिनिधि द्वारा जनता से/को सीधे और अपने एजेंटों/फ्रेंचाइजी/ विदेशी मुद्रा प्रतिनिधि के माध्यम से वित्तीय वर्ष के दौरान खरीदी और बेची गई कुल विदेशी मुद्रा से है, पर इसमें संसाधित आवक प्रेषण का मूल्य शामिल नहीं है।

(ग) "प्राधिकृत व्यापारी (एडी)" का अर्थ है वह व्यक्ति जो अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकृत व्यापारी के रूप में प्राधिकृत किया गया हो;

(घ) "कंपनी" का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अंतर्गत निगमित कंपनी;

(ङ) “नियंत्रण” का अर्थ वही होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उपधारा (27) के तहत इसे दिया गया है;

(च) “निदेशक” का अर्थ वही होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उपधारा (34) के तहत इसे दिया गया है;

(छ) “विदेशी मुद्रा प्रतिनिधि (एफएक्ससी)” का अर्थ है रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विदेशी मुद्रा प्रतिनिधि योजना (एफसीएस) के अनुसार नियुक्त प्राधिकृत व्यापारी का एजेंट;

(ज) "संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक (एफएफएमसी)" का अर्थ है अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक;

(झ) "मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)" का अर्थ वही होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उपधारा (51) के तहत इसे दिया गया है;

(ञ) "निवल मालियत" का अर्थ वही होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उप-धारा (57) के तहत इसे दिया गया है;

(ट) “प्रमोटर” का अर्थ वही होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उप-धारा (69) के तहत इसे दिया गया है;

(ठ) "महत्वपूर्ण प्रभाव" का अर्थ वही होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उप-धारा (6) के स्पष्टीकरण (ए) के तहत इसे दिया गया है।

(2) इस विनियमावली में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित न किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो उन्हें अधिनियम में दिए गए हैं।

अध्याय II – प्राधिकार प्रदान करना

3. प्राधिकार - (1) रिज़र्व बैंक से प्राधिकार लिए बिना कोई भी व्यक्ति प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में कार्य नहीं करेगा।

(2) इस विनियमावली के लागू होने की तिथि को प्राधिकृत व्यक्ति, जारी किए गए प्राधिकार की शर्तों के साथ-साथ इस विनियमावली और समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुसार, अपने मौजूदा प्राधिकार की समाप्ति तक प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में कार्य करना जारी रख सकता है।

(3) प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में प्राधिकार प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति, रिज़र्व बैंक को ‘प्रवाह’ (PRAVAAH) पोर्टल (https://pravaah.rbi.org.in) के माध्यम से रिज़र्व बैंक के उस संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को आवेदन करेगा जिसके क्षेत्राधिकार में आवेदनकर्ता का पंजीकृत कार्यालय स्थित है।

(4) रिज़र्व बैंक नए प्राधिकार के लिए तीन श्रेणियों के तहत ही आवेदन पर विचार करेगा, यथा प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-I, प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-II और प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-III, और ऐसे आवेदनों को इस विनियमावली के अनुसार संसाधित किया जाएगा। पात्रता शर्तें और अनुमत गतिविधियाँ क्रमशः नीचे विनियम 4 और 7 में विनिर्दिष्ट हैं।

(5) उप-विनियम (4) में उल्लिखित आवेदन को संसाधित करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त सूचना और/या दस्तावेज आवेदक द्वारा रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

(6) रिज़र्व बैंक द्वारा एफएफएमसी के रूप में नए प्राधिकार के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, सिवाय उन आवेदनों के जो इस विनियमावली के लागू होने की तिथि तक प्रक्रियाधीन हैं। जहां कहीं भी रिज़र्व बैंक द्वारा ऐसे आवेदनों

को संसाधित करने के लिए अतिरिक्त सूचना और/या दस्तावेज मांगे गए है, उन्हें इस विनियमावली के लागू होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाए; अन्यथा आवेदन अस्वीकृत माना जाएगा। ऐसे आवेदनों को अनुबंध में सूचीबद्ध पात्रता शर्तों, दस्तावेजों और प्रक्रिया के अनुसार संसाधित किया जाएगा।

4. पात्रता मानदंड - (1) आवेदक कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत कंपनी हो।

(2) आवेदक के संस्था के बहिर्नियम (एमओए) में विदेशी मुद्रा संबंधित वह गतिविधि शामिल हो जिसके लिए प्राधिकार मांगा जा रहा है।

(3) आवेदन करते समय आवेदक को निम्नलिखित मानदंड पूरा करने होंगे:

प्राधिकृत व्यक्ति की श्रेणी	**पात्र संस्थाएं**
एडी श्रेणी-I	रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस प्राप्त बैंक।
एडी श्रेणी-II	. रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस प्राप्त बैंक या रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी)। . संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक या विदेशी मुद्रा प्रतिनिधि जो कम से कम दो वर्षों से कार्यरत हैं और जिनका पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान औसत वार्षिक विदेशी मुद्रा कारोबार ₹50 करोड़ का रहा है।
एडी श्रेणी-III	एक संस्था: . जिसे अपने द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के लिए विदेशी मुद्रा में लेन-देन करना आवश्यक है; या . जो ऐसे नवीन उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने का इरादा रखते हैं जिनमें विदेशी मुद्रा में लेन-देन शामिल है।

(4) आवेदक, प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में व्यवसाय की शुरुआत के समय (अपने नवीनतम अंकेक्षित तुलन-पत्र के आधार पर) निम्नलिखित न्यूनतम निवल मालियत रखता हो और अपने सांविधिक लेखापरीक्षकों से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे:

प्राधिकृत व्यक्ति की श्रेणी	**न्यूनतम निवल मालियत**
एडी श्रेणी-II	₹10 करोड़
एडी श्रेणी-III	₹2 करोड़

(5) आवेदक, उसके प्रमोटर, निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) निम्नलिखित पहलुओं पर 'उपयुक्त एवं उचित' हों:

(क) वित्तीय सेवा उद्योग में योग्यता और अनुभव।

(ख) ईमानदारी, प्रतिष्ठा और चरित्र।

(ग) किसी न्यायालय से दोषसिद्धि या प्रतिबंध आदेश, कंपनी अधिनियम, 2013 या अन्य लागू कॉरपोरेट कानून के तहत अयोग्यता, किसी नियामक संस्था द्वारा लगाए गए प्रतिबंध, या किसी पेशेवर संस्था से निष्कासन का न होना:

बशर्ते कि कम से कम 50% निदेशक और केएमपी के पास वित्तीय सेवा उद्योग में योग्यता और अनुभव हो।

(6) यदि कोई आवेदक या उसका कोई प्रमोटर, निदेशक या केएमपी या इसकी मूल संस्था प्रवर्तन निदेशालय (डीओई) द्वारा जांच के अधीन है, तो आवेदक को आवेदन के साथ डीओई से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रस्तुत करना होगा, जिसकी तिथि ऐसे आवेदन की तिथि से तीस दिन पूर्व की न हो:

बशर्ते कि यदि अनुरोध प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर डीओई से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, तो आवेदक द्वारा इस संबंध में की गई घोषणा के आधार पर डीओई से एनओसी प्राप्त किए बिना ही आवेदन पर कार्रवाई की जाएगी। डीओई को ऐसा अनुरोध रिज़र्व बैंक को किए गए आवेदन की तिथि से नब्बे दिन पहले नहीं किया गया हो।

(7) छूट - इस विनियम के उप-विनियम (1), (4) और (5) उन संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे जो अन्य अधिनियमों के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित हैं।

5. मौजूदा प्राधिकृत व्यक्तियों के प्राधिकार का नवीनीकरण – इस विनियमावली के लागू होने की तिथि पर प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में गतिविधियाँ संचालित करने वाली कोई संस्था, इस विनियमावली के अंतर्गत अपने मौजूदा प्राधिकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकती है, यदि उसकी न्यूनतम निवल मालियत –

(क) एकल शाखा एफएफएमसी के मामले में ₹25 लाख है;

(ख) बहु शाखा एफएफएमसी के मामले में ₹50 लाख है;

(ग) एडी श्रेणी-II के मामले में ₹10 करोड़ है;

(घ) एडी श्रेणी-III के मामले में ₹2 करोड़ है:

और वह विनियम 4 के उप-विनियम (5) और (6) के प्रावधानों का पालन करती है।

(2) मौजूदा प्राधिकार के नवीनीकरण के लिए आवेदन मौजूदा प्राधिकार की समाप्ति से कम से कम दो महीने पहले किया जाए। ऐसे मामले में, मौजूदा प्राधिकार तब तक लागू रहेगा जब तक कि इस विनियमावली के तहत नवीनीकरण प्रदान न किया जाए या आवेदन अस्वीकृत न हो जाए, जैसी स्थिति हो।

6. आवेदन पर विचार - (1) रिज़र्व बैंक, आवेदन पर विचार करते समय, सभी पहलुओं की जांच करेगा जिन्हें वह प्रासंगिक मानता है, जिसमें इस विनियमावली में उल्लिखित, पर केवल इन्हीं तक सीमित नहीं, विनिर्दिष्ट पात्रता शर्तें शामिल होंगी और रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के मामले में, रिज़र्व बैंक के संबंधित विनियामक और पर्यवेक्षी विभागों से प्राप्त जानकारी भी शामिल होगी।

(2) प्राधिकार प्रदान करने या नवीनीकरण के लिए कोई भी आवेदन–

(क) जो गलत, झूठा या भ्रामक प्रकृति का हो; या

(ख) जहाँ आवेदक इस विनियमावली के तहत निर्धारित योग्यता आवश्यकताओं का पालन नहीं कर रहा है; या

(ग) जहाँ आवेदक या उसके किसी प्रमोटर, निदेशक या केएमपी को इस विनियमावली के विनियम 4(5) में वर्णित पात्रता आवश्यकताओं के पालन में 'उपयुक्त एवं उचित' नहीं माना जाता हो; या

(घ) जो लोक हित में नहीं है;

रिज़र्व बैंक द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है।

(3) किसी संस्था–

(क) जिसका प्राधिकार किसी भी कारण से वापस ले लिया गया है; या

(ख) जिसने किसी भी कारण से अपना प्राधिकार स्वेच्छा से समर्पित कर दिया है; या

(ग) जिसका प्राधिकार प्राप्त करने या नवीनीकरण का आवेदन निवल मालियत पूरा करने मे असमर्थता के अलावा रिज़र्व बैंक द्वारा किसी भी कारण से अस्वीकृत किया गया हो; या

(घ) जहाँ एक या अधिक प्रमोटर या निदेशक या केएमपी का इस उप-विनियम के खंड (क), (ख) और (ग) में सूचीबद्ध किसी भी इकाई पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो;

उसके द्वारा प्राधिकार प्रदान करने या नवीनीकरण के लिए प्रस्तुत आवेदन पर, प्राधिकार के निरस्तीकरण या स्वैच्छिक परित्याग या आवेदन की अस्वीकृति की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक रिज़र्व बैंक द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

अध्याय III – अनुमत गतिविधियां

7. अनुमत गतिविधियां – जब तक कि रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष रूप से अनुमति न दी गई हो या प्रतिबंधित न किया गया हो प्राधिकृत व्यक्ति को नीचे सूचीबद्ध गतिविधियों की सुविधा प्रदान करने की अनुमति होगी:

श्रेणी	**अनुमत गतिविधियां**
एडी श्रेणी-I	अधिनियम के तहत अनुमत कोई भी चालू खाता और पूंजी खाता लेनदेन।

एडी श्रेणी-II	. उपहार और दान को छोड़कर अधिनियम के तहत अनुमत कोई भी गैर-व्यापारिक चालू खाता लेनदेन। . प्रति लेनदेन ₹25 लाख तक विदेशी व्यापार लेनदेन।
एडी श्रेणी-III	जैसा रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्राधिकार में उल्लेख किया गया हो।
संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक (एफ़एफ़एमसी)	. विदेशी मुद्रा नोट और यात्री चेक की खरीद; . विदेश यात्रा के उद्देश्यों के लिए विदेशी मुद्रा नोटो और यात्री चेको की बिक्री; और . मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के दिशानिर्देशों के अनुसार एमटीएसएस एजेंट के रूप में कार्य।

अध्याय IV – प्राधिकार की शर्तें

8. प्राधिकार की शर्तें - (1) इस विनियमावली के अंतर्गत दिया गया प्राधिकार तब तक वैध रहेगा जब तक रद्द या परित्याग नहीं कर दिया जाता:

बशर्ते कि किसी बैंक या एनबीएफसी को दिया गया प्राधिकार क्रमश: उसके बैंकिंग लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाण पत्र के समापन के साथ समाप्त हो जाएगा।

(2) रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान किया गया प्राधिकार उसमें दी गई शर्तों के अधीन होगा। रिज़र्व बैंक किसी भी समय प्राधिकार की किसी भी मौजूदा शर्त को परिवर्तित या रद्द कर सकता है या नई शर्तें लागू कर सकता है।

(3) बैंक या एनबीएफसी के अलावा प्राधिकृत व्यक्ति को, इस विनियमावली के लागू होने की तिथि या विदेशी मुद्रा व्यापार के प्रारंभ करने के दो वर्ष के भीतर, जो भी बाद में हो, निम्नलिखित न्यूनतम वार्षिक विदेशी मुद्रा कारोबार करना होगा, और उसके बाद निरंतर आधार पर न्यूनतम वार्षिक विदेशी मुद्रा कारोबार को बनाए रखना होगा:

प्राधिकृत व्यक्ति की श्रेणी	**न्यूनतम वार्षिक विदेशी मुद्रा कारोबार**
एडी श्रेणी-II	₹50 करोड़
एफ़एफ़एमसी	₹10 करोड़

(4) इस विनियमावली के अंतर्गत, या रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट, न्यूनतम निवल मालियत, टर्नओवर और 'उपयुक्त एवं उचित' स्थिति सहित सभी आवश्यकताओं को निरंतर आधार पर पूरा किया जाए तथा किसी भी विचलन को रिज़र्व बैंक के ध्यान में तुरंत लाया जाए।

(5) यदि प्राधिकृत व्यक्ति की निवल मालियत इस विनियमावली के तहत विनिर्दिष्ट न्यूनतम से कम हो जाती है, तो प्राधिकृत व्यक्ति को छह महीने की अवधि के भीतर या रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई अतिरिक्त अवधि के भीतर निवल मालियत को अपेक्षित न्यूनतम स्तर पर बहाल करना होगा। ऐसा न करने पर प्राधिकार रद्द किया जा सकता है।

(6) बैंक के अलावा कोई प्राधिकृत व्यक्ति:

(क) प्राधिकार जारी होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर अपना परिचालन शुरू कर देगा और भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित करेगा;

(ख) प्रबंधन या नियंत्रण या 50% से अधिक स्वामित्व में किसी भी परिवर्तन से पहले रिज़र्व बैंक से स्वीकृति प्राप्त करेगा;

(ग) वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशक या केएमपी में किसी भी परिवर्तन, तथा मौजूदा प्रमोटर या निदेशक या केएमपी की 'उपयुक्त एवं उचित' स्थिति को प्रभावित करने वाली घटनाओं/सूचनाओं की रिपोर्ट वर्ष की समाप्ति से 30 दिनों के भीतर रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करेगा;

(घ) प्रवर्तन निदेशालय (डीओई) द्वारा उसके विरुद्ध शुरू की गई जांच का विवरण, जांच के बारे में जानकारी प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।

(7) प्राधिकृत व्यक्ति इस विनियमावली के अंतर्गत अनुमत गतिविधियों को किसी भी व्यवसाय स्थल से संचालित कर सकता है। बैंक के अलावा प्राधिकृत व्यक्ति:

(क) किसी नए स्थान पर व्यवसाय शुरू करने (जिसमें अस्थायी काउंटर खोलना भी शामिल है) की सूचना उस नए स्थान से व्यवसाय शुरू करने के सात कैलेंडर दिनों के भीतर;

(ख) किसी व्यवसाय स्थल को बंद करने की सूचना, जिसमें अस्थायी काउंटर भी शामिल है, बंद करने के सात कैलेंडर दिनों के भीतर; और

(ग) पंजीकृत कार्यालय, जो व्यवसाय का स्थान न हो, के स्थानांतरण की सूचना, स्थानांतरण के सात कैलेंडर दिनों के भीतर;

APConnect[1] एप्लीकेशन (https://apconnect.rbi.org.in/) के माध्यम से रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करेगा।

(8) प्राधिकृत व्यक्ति विदेशी मुद्रा में लेन-देन करते समय (प्रत्यक्ष रूप से या किसी विदेशी मुद्रा प्रतिनिधि या फ्रेंचाइजी के माध्यम से) अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (5) का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(9) रिज़र्व बैंक द्वारा, प्राधिकार को किसी भी समय रद्द किया जा सकता है, यदि वह संतुष्ट हो जाए कि:

(क) ऐसा करना लोक हित में है; या

(ख) प्राधिकृत व्यक्ति प्राधिकार की शर्त का अनुपालन करने में असफल रहा है या उसने अधिनियम के किसी भी प्रावधान या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम, अधिसूचना, निदेश या आदेश के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया है।

अध्याय V – अपील प्रक्रिया

9. अपील - (1) जिस आवेदक का प्राधिकार हेतु किया गया आवेदन रिज़र्व बैंक द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है, या प्राधिकृत व्यक्ति जिसका प्राधिकार रद्द कर दिया गया है, वह आवेदन की अस्वीकृति या रद्द करने के विरुद्ध अपील प्राधिकारी अर्थात् विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई के प्रभारी कार्यपालक निदेशक को अपील कर सकता है।

(2) उप-विनियम (1) के अंतर्गत अपील आवेदन की अस्वीकृति या प्राधिकार के निरसन की सूचना देने वाले पत्र की प्राप्ति की तारीख के पैंतालीस कैलेंडर दिनों के भीतर दायर की जा सकती है।

(3) अपील प्राप्त होने पर, अपील प्राधिकारी आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, अपील प्राप्त होने की तिथि से साठ कैलेंडर दिनों के भीतर युक्तिसंगत आदेश पारित कर सकता है।

अध्याय VI – विदेशी मुद्रा प्रतिनिधि योजना (एफसीएस)

10. विदेशी मुद्रा प्रतिनिधि - (1) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I या प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II, 'प्रिंसिपल-एजेंट' मॉडल के तहत मुद्रा विनिमय व्यवसाय संचालित करने के लिए संस्था या संस्थाओं को जिन्हें विदेशी मुद्रा प्रतिनिधि (एफएक्ससी) के रूप में एजेंट के तौर पर नियुक्त कर सकते हैं।

(2) इस अध्याय में दी गई विदेशी मुद्रा प्रतिनिधि योजना के अनुरूप एफएक्सी को अपने किसी भी ग्राहक या अन्य संस्थाओं के साथ विदेशी मुद्रा में लेन-देन करने की अनुमति है।

11. अनुमत गतिविधियां - एफएक्ससी को निम्नलिखित गतिविधियां करने की अनुमति है:

(क) विदेशी मुद्रा नोटो/सिक्के और यात्री चेको की खरीद;

(ख) विदेश यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा नोटो/सिक्के और यात्री चेको की बिक्री; और

(ग) मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के दिशानिर्देशों के अनुसार एमटीएसएस उप-एजेंट के रूप में कार्य।

12. अभिशासन - प्रिंसिपल अपने बोर्ड की स्वीकृति से विदेशी मुद्रा प्रतिनिधियो को नियुक्त करने के लिए आंतरिक नीति तैयार करेगा। इस नीति में, अन्य बातों के साथ-साथ, उन संस्थाओं के प्रकार, जिन्हें वह एफएक्ससी के रूप में नियुक्त करना चाहता है, ऐसी संस्थाओं के लिए 'उपयुक्त एवं उचित' मानदंड, एफएक्ससी के माध्यम से वह कौन सी गतिविधियां संचालित करना चाहता है, निवल मालियत, समुचित सावधानी, प्रणालियाँ और नियंत्रण, लेनदेन रिपोर्टिंग, एफएक्ससी द्वारा लगाए जा सकने वाले प्रभार, ग्राहक सेवा और शिकायत निवारण तंत्र से संबंधित अपेक्षाएं शामिल होंगी।

13. एफएक्ससी की कार्यप्रणाली - (1) इस योजना के तहत एफएक्ससी द्वारा किए गए सभी लेन-देन संबंधित प्रिंसिपल के बही-खातों में दर्ज किए जाएंगे।

---

[1] APConnect से तात्पर्य रिज़र्व बैंक द्वारा इस उद्देश्य के लिए विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्रणाली से भी होगा।

(2) एक एफएक्ससी एक से अधिक प्राधिकृत व्यापारियों के एजेंट के रूप में कार्य कर सकता है।

(3) एक एफएक्ससी, अपने प्रिंसिपल की स्वीकृति से, किसी अन्य एफएक्ससी या किसी प्राधिकृत व्यक्ति, जो उसका प्रिंसिपल नहीं है, के साथ विदेशी मुद्रा में लेन-देन कर सकता है।

14. प्रिंसिपल के दायित्व – प्रिंसिपल:

(क) एफएक्ससी के प्रत्येक आउटलेट को आवश्यक अनुमति जारी करेगा और ऐसी अनुमति की एक प्रति संबंधित आउटलेट पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित करेगा;

(ख) अपने द्वारा नियुक्त किए गए सभी एफएक्ससी के विवरण, उनके कारोबार के स्थान/ स्थानों के साथ, APConnect एप्लीकेशन के माध्यम से, रिज़र्व बैंक को प्रत्येक कैलेंडर तिमाही की समाप्ति के 15 दिनों के अंदर प्रस्तुत करेगा;

(ग) अपने एफएक्ससी की अभिरक्षा या स्वामित्व में रखी ग्राहक सूचना का परिरक्षण, संरक्षण, सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करेगा;

(घ) यह सुनिश्चित करेगा कि एफएक्ससी, अधिनियम के तहत विदेशी मुद्रा लेन-देन संबंधी नियमों, विनियमों, और निदेशों, जो कि उसके प्रिंसिपल पर लागू होते हैं, का पालन करें।

15. आउटसोर्सिंग जोखिमों का प्रबंधन – गैर-बैंक प्राधिकृत व्यापारी, जो प्रिंसिपल के रूप में कार्य कर रहा है, चाहे वह एनबीएफसी हो या नहीं, "भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - आउटसोर्सिंग पर जोखिमों का प्रबंधन) निदेश, 2025" में निहित दिशानिर्देशों का पालन करेगा।

अध्याय VII - प्राधिकृत व्यक्तियों के फ्रेंचाइजी

16. फ्रेंचाइजी – (1) प्राधिकृत व्यक्ति, समय-समय पर यथा संशोधित 'मास्टर निदेश - मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधियां' के खंड III में निहित 'एडी श्रेणी-I, एडी श्रेणी-II और एफएफएमसी द्वारा एजेंटों/फ्रेंचाइजी की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश' के अंतर्गत कोई भी नया फ्रेंचाइजी करार नहीं करेगा।

(2) इस विनियमावली के लागू होने की तिथि तक वैध फ्रेंचाइजी करार विनियमावली के लागू होने की तिथि से दो वर्ष के भीतर समाप्त करने होंगे। इसके पश्चात, फ्रेंचाइजी को एफसीएस के अंतर्गत दी गई शर्तों के अधीन, एफएक्ससी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

अनुबंध

[कृपया विनियम 3(6) देखें]

1. आवेदक, कंपनी अधिनियम, 1956/ कंपनी अधिनियम 2013/ कंपनी पंजीकरण (सिक्किम) अधिनियम, 1961 के तहत पंजीकृत कंपनी होनी चाहिए।

2. एफएफएमसी के रूप में विचार किए जाने के लिए आवश्यक न्यूनतम निवल स्वामित्व निधि (एनओएफ) निम्नलिखित हैं:

<table>
<tr><th>श्रेणी</th><th>न्यूनतम एनओएफ</th></tr>
<tr><td>एकल शाखा एफएफएमसी</td><td>₹25 लाख</td></tr>
<tr><td>बहु शाखा एफएफएमसी</td><td>₹50 लाख</td></tr>
<tr><td colspan="2">नोट: बैंकों से भिन्न आवेदकों के लिए न्यूनतम निवल स्वामित्व निधि की गणना निम्ननानुसार की जाएगी।
(क) स्वामित्व वाली निधि: (प्रदत्त पूंजी + निर्बाध आरक्षित निधियां + लाभ एवं हानि खाते में क्रेडिट शेष) में से घटाएं (उपचित हानि शेष, आस्थगित राजस्व व्यय एवं अन्य अमूर्त आस्तियां)
(ख) निवल स्वामित्व निधि: स्वामित्व वाली निधियों में से घटाई गई वह राशियाँ जिसमें इसकी सहायक कंपनियों के शेयरों में निवेश की राशि शामिल है, इसके अलावा एक ही समूह की कंपनियों, सभी (अन्य) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा डिबेंचरों, बांडों, बकाया ऋण एवं अग्रिम, जो उनकी सहायक कंपनियों और उसी समूह के कंपनियों में स्वामित्व निधि के 10% से अधिक जमा किए गए हो, शामिल है।</td></tr>
</table>

3. आवेदक के लिए 'उपयुक्त एवं उचित' मानदंड: यदि डीओई/डीआरआई या किसी अन्य विधि प्रवर्तन प्राधिकरण द्वारा किसी कंपनी/उसके निदेशकों के खिलाफ कोई मामला शुरू किया गया है/लंबित है, तो कंपनी को 'उपयुक्त एवं उचित' नहीं माना जाएगा और एफएफएमसी के रूप में लाइसेंस के लिए उसके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. निदेशकों के लिए 'उपयुक्त एवं उचित' मानदंड:

(क) आवेदक के बोर्ड को योग्यता, विशेषज्ञता, कार्य अनुभव, सत्यनिष्ठा और अन्य 'उपयुक्त एवं उचित' मानदंडों के आधार पर, बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्ति/नियुक्ति जारी रखने के लिए व्यक्ति की उपयुक्तता निर्धारित करने हेतु उचित जांच प्रक्रिया अपनानी चाहिए। ईमानदारी और उपयुक्तता का आकलन करने के लिए, आपराधिक रिकॉर्ड (यदि कोई हो), वित्तीय स्थिति, व्यक्तिगत ऋणों की वसूली के लिए शुरू की गई सिविल कार्रवाई, पेशेवर निकायों में प्रवेश से इनकार या निष्कासन, नियामकों या इसी तरह के निकायों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध, पिछली संदिग्ध व्यावसायिक प्रथाएं आदि जैसे कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। निदेशक बोर्ड को स्व-घोषणा, बाजार से सत्यापन रिपोर्ट आदि के माध्यम से जानकारी मंगवाकर 'उपयुक्त एवं उचित' स्थिति का आकलन करना चाहिए। आवेदक को इस उद्देश्य के लिए, प्रस्तावित / मौजूदा निदेशकों से 'रिपोर्टिंग पर मास्टर निदेश के अनुसार' आवश्यक जानकारी और घोषणा प्राप्त करनी चाहिए।

(ख) नियुक्ति/नियुक्ति के नवीनीकरण के समय उचित जांच-पड़ताल की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

(ग) आवेदक के बोर्ड को घोषणाओं की जांच करने के लिए नामांकन समिति का गठन करना चाहिए।

(घ) हस्ताक्षरित घोषणा में दी गई जानकारी के आधार पर, नामांकन समिति को स्वीकृति या अस्वीकृति का निर्णय लेना चाहिए और जहां आवश्यक समझा जाए, वहां संबंधित प्राधिकारी/व्यक्तियों को निदेश भेजकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन कर रहे हैं।

(ङ) उम्मीदवार की आयु के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान लागू होंगे। इसके अलावा, उम्मीदवार संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य/विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए।

5. रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस प्राप्त/प्राधिकृत आवेदक या उसकी मूल संस्था के संचालन पर रिज़र्व बैंक के संबंधित विभागों से टिप्पणियां प्राप्त की जाएंगी।

6. दस्तावेजीकरण: निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ जमा किया जाना चाहिए:

(क) निगमन प्रमाण पत्र की प्रति।

(ख) संस्था के अंतर्नियम एवं बहिर्नियम की प्रतिलिपि, जिसमें मुद्रा परिवर्तक कारोबार करने संबंधी प्रावधान हो या कंपनी लॉ-बोर्ड में इस आशय से संबंधित समुचित संशोधन के लिए आवेदन किया गया हो।

(ग) नवीनतम लेखापरीक्षित खातों की प्रतिलिपियाँ, जिसके साथ आवेदन की तारीख पर निवल स्वामित्व निधि के बारे मे सांविधिक लेखाकार का प्रमाणपत्र हो। जहां लागू हो, वहां कंपनी के पिछले तीन वर्षों के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र एवं लाभ तथा हानि लेखा की प्रतियां।

(घ) सीलबंद लिफाफे में आवेदक के बैंकर की गोपनीय रिपोर्ट।

(ङ) इस आशय की घोषणा कि प्रवर्तन निदेशालय (डीओई) / राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) या किसी अन्य विधि प्रवर्तन प्राधिकरण द्वारा आवेदक कंपनी या उसके निदेशकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है / लंबित नहीं है और आवेदक कंपनी या उसके निदेशकों के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला शुरू नहीं किया गया है / लंबित नहीं है।

(च) इस आशय की घोषणा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए केवाईसी दिशानिर्देशों के अनुसार उचित नीतिगत ढांचा, रिज़र्व बैंक की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद और परिचालन शुरू करने से पहले लागू किया जाएगा।

(छ) वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत सहयोगी/संबद्ध संस्थाओं, जैसे एनबीएफ़सी आदि का विवरण।

(ज) मुद्रा परिवर्तन व्यवसाय शुरू करने के लिए बोर्ड के प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति।

7. अधिकारप्राप्त समिति द्वारा अनुमति (क्लीयरेंस): एफएफएमसी लाइसेंस जारी करने के अनुरोध पर भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इसके लिए गठित अधिकार प्राप्त समिति की अनुमति के आधार पर विचार किया जाएगा।

8. अनुमोदन प्रदान करने या न करने के संबंध में रिज़र्व बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

एन सेंथिल कुमार, मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./70/2026-27]

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 30th April, 2026

Foreign Exchange Management (Authorised Persons) Regulations, 2026

Notification No. FEMA 401/2026-RB.—In exercise of the powers conferred under clause (h) of sub-section (2) of Section 47 read with Section 10 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and all other powers enabling it in this behalf, the Reserve Bank hereby, makes the following regulations, namely,

Chapter I – Preliminary

1. Short title and commencement - (1) These regulations may be called the Foreign Exchange Management (Authorised Persons) Regulations, 2026.

(2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions - (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, the terms defined herein shall bear the meanings assigned to them below, and their cognate expressions shall be construed accordingly, –

(a) "Act" means the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999);

(b) "Annual Forex Turnover" means the aggregate of foreign exchange purchased and sold by an authorised person or a Forex Correspondent from/to the public directly, and through its agents/franchisees/Forex Correspondents, during a financial year, excluding the value of inward remittances processed;

(c) "Authorised Dealer (AD)" means a person authorised as an authorised dealer under sub-section (1) of section 10 of the Act;

(d) "Company" means a company incorporated under the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(e) "Control" shall have the same meaning as assigned to it under sub-section (27) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(f) "Director" shall have the same meaning as assigned to it under sub-section (34) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(g) "Forex Correspondent (FxC)" means an agent of an Authorised Dealer appointed in terms of the Forex Correspondent Scheme (FCS) issued by the Reserve Bank;

(h) "Full Fledged Money Changer (FFMC)" means a money changer authorised under sub-section (1) of section 10 of the Act;

(i) "'Key Managerial Personnel (KMP)" shall have the same meaning as assigned to it under sub-section (51) of section 2 of the Companies Act, 2013;

(j) "Net Worth" shall have the same meaning as assigned to it under sub-section (57) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(k) "Promoter" shall have the meaning as assigned to it under sub-section (69) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(l) "Significant Influence" shall have the same meaning as assigned to it under the Explanation (a) to sub-section (6) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(2) Words and expressions used but not defined in these regulations shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

Chapter II – Grant of Authorisation

3. Authorisation - (1) No person shall act as an authorised person without obtaining an authorisation from the Reserve Bank.

(2) An authorised person as on the date of coming into force of these regulations may continue to act as such until the expiry of its existing authorisation, in accordance with the conditions of the authorisation issued, as well as these regulations and the directions issued by the Reserve Bank from time to time.

(3) A person seeking authorisation as an authorised person may apply to the Reserve Bank through the PRAVAAH portal (https://pravaah.rbi.org.in) to the regional office concerned of the Reserve Bank under whose jurisdiction the registered office of the applicant is established.

(4) The Reserve Bank shall consider application for fresh authorisation under three categories, namely, AD Category-I, AD Category-II and AD Category-III and such application shall be processed in accordance with these regulations. The eligibility conditions and activities permitted are specified in regulations 4 and 7 below, respectively.

(5) Any additional information and/or documents as may be required by the Reserve Bank to process an application mentioned at sub-regulation (4) shall be submitted by the applicant within the time specified by the Reserve Bank.

(6) Application for fresh authorisation as an FFMC shall not be considered by the Reserve Bank, except those under process as on the date of coming into force of these regulations. Wherever additional information and/or documents have been sought by the Reserve Bank for processing such applications, the same shall be provided within thirty days from the date of coming into force of these regulations; else the applications shall be deemed to have been rejected. Such applications shall be processed as per the eligibility conditions, documents and procedure listed at Annex.

4. Eligibility conditions - (1) An applicant shall be a company incorporated under the Companies Act 2013.

(2) The Memorandum of Association (MoA) of the applicant should include the foreign exchange related activity for which the authorisation is being sought.

(3) An applicant shall fulfil the following criteria at the time of application:

Category of AP	Eligible entities
AD Category-I	A bank licensed by the Reserve Bank.
AD Category-II	i. A bank licensed by or a Non-Banking Financial Company (NBFC) registered with the Reserve Bank. ii. A Full-Fledged Money Changer or a Forex Correspondent functioning for at least two years with an average annual forex turnover of ₹50 crore during the previous two financial years.
AD Category-III	An entity: i. required to deal in foreign exchange incidental to the activities undertaken by it; or ii. that intends to offer innovative products and services that may involve dealing in foreign exchange.

(4) An applicant, at the time of commencement of business as an authorised person shall have a minimum positive net worth (based upon its latest audited balance sheet) as mentioned below and shall submit a certificate to this effect from its Statutory Auditors:

Category of AP	Minimum Net worth
AD Category-II	₹10 crores
AD Category-III	₹2 crores

(5) The applicant, its promoters, directors and Key Managerial Personnel (KMPs) shall be 'fit and proper' on the following aspects:

(a) qualification and experience in the financial services industry.

(b) integrity, reputation and character.

(c) absence of convictions or restraint orders from a court of law, disqualifications under the Companies Act, 2013 or other applicable corporate law, sanctions imposed by a regulatory body, or expulsion from a professional body:

Provided that at least 50% of the directors and KMPs have qualification and experience in the financial services industry.

(6) In case an applicant or any of its promoters, directors or KMPs or its parent entity is under investigation by Directorate of Enforcement (DoE), the applicant shall furnish, along with the application, a No Objection Certificate (NOC) obtained from DoE, which is dated not earlier than thirty days from the date of such application:

Provided that where no reply has been received from the DoE within 60 days of receipt of request, the application will be processed without NOC from the DoE based on the declaration to this effect by the applicant. Such request to DoE should have been made not earlier than ninety days from the date of application to the Reserve Bank.

(7) Exemption - Sub-regulation (1), (4) and (5) of this regulation shall not be applicable to the entities regulated by the Reserve Bank under the provisions of other Acts.

5. Renewal of authorisation of existing authorised persons - (1) An entity conducting activities as an authorised person as on the date of coming into force of these regulations may apply for renewal of its existing authorisation under these regulations, if its Net worth is a minimum of –

(a) ₹25 lakh, in case of a single branch FFMC;

(b) ₹50 lakh, in case of a multiple branch FFMC;

(c) ₹10 crore, in case of an AD Category-II;

(d) ₹2 crore, in case of an AD Category-III:

and it is in compliance with provisions of sub regulation (5) and (6) of regulation 4.

(2) An application for renewal of existing authorisation shall be made at least two months before expiry of the existing authorisation. In such case, the existing authorisation shall continue till renewal is granted under these regulations or the application is rejected, as the case may be.

6. Consideration of application - (1) The Reserve Bank, while considering an application, shall examine all matters which it deems relevant, including but not limited to the eligibility conditions specified in these regulations, and in case of entities regulated by the Reserve Bank, the inputs of the respective regulatory and supervisory departments of the Reserve Bank.

(2) Any application for grant or renewal of authorisation–

(a) which is incorrect, false or misleading in nature; or

(b) where the applicant is not in compliance with the eligibility requirements as set out under these regulations; or

(c) where the applicant or any of its promoter or director or KMPs is not a ‘fit and proper person' in compliance with the eligibility requirements stated in regulation 4(5) of these regulations; or

(d) which is not in public interest;

may be rejected by the Reserve Bank.

(3) Any application for grant or renewal of authorisation from an entity–

(a) whose authorisation has been revoked for any reason; or

(b) which has voluntarily surrendered its authorisation for any reason; or

(c) whose application for grant or renewal of authorisation has been rejected by the Reserve Bank for any reason other than the inability to meet the net worth; or

(d) where one or more of the promoters or directors or KMPs have significant influence in any of the entities listed at clause (a), (b) and (c) of this sub-regulation;

shall not be considered by the Reserve Bank for a period of one year from the date of revocation or voluntary surrender of authorisation or rejection of application, as the case may be.

Chapter III – Permitted Activities

7. Permitted Activities - An authorised person shall be permitted to facilitate activities listed below, unless otherwise specifically permitted or restricted by the Reserve Bank:

Category	Permitted Activities
AD Category-I	Any current account and capital account transaction permissible under the Act.
AD Category-II	i. Any non-trade current account transaction permissible under the Act, other than gift and donation. ii. Foreign trade transactions up to ₹25 lakh per transaction.
AD Category-III	As mentioned in the authorisation issued by the Reserve Bank.
Full Fledged Money Changer (FFMC)	i. Purchase of foreign currency notes and travellers' cheques; ii. Sale of foreign currency notes and travellers' cheques for foreign travel purposes; and iii. Functioning as an agent under the MTSS in accordance with the guidelines on Money Transfer Service Scheme (MTSS).

Chapter IV - Conditions of authorisation

8. Conditions of authorisation - (1) An authorisation granted under these regulations shall be valid until revoked or surrendered:

Provided that an authorisation granted to a bank or an NBFC shall be co-terminus with its Banking Licence or Certificate of Registration respectively.

(2) An authorisation granted by the Reserve Bank shall be subject to the conditions laid down therein. The Reserve Bank may at any time vary or revoke any of the existing conditions of authorisation or impose new conditions.

(3) An authorised person, other than a bank or an NBFC, shall achieve minimum annual forex turnover as given below, within two years from the date of coming into force of these regulations or from the commencement of forex business, whichever is later, and shall maintain the minimum annual forex turnover thereafter on an ongoing basis:

Category of AP	Minimum annual forex turnover
AD Category-II	₹50 crores
FFMC	₹10 crores

(4) The requirements under these regulations, or as specified by the Reserve Bank from time to time, including minimum net worth, turnover and 'fit and proper' status, shall be fulfilled on an ongoing basis and any deviation shall be immediately brought to the notice of the Reserve Bank.

(5) If the net worth of the authorised person falls below the minimum specified in these regulations, the authorised person shall restore the net worth to the required minimum, within a period of six months, or such additional time as the Reserve Bank may grant. Failure to do so may lead to revocation of authorisation.

(6) An authorised person, other than a bank shall:

(a) commence its operations within a period of six months from the date of issuance of authorisation, under intimation to the regional office concerned of the Reserve Bank;

(b) seek prior approval from the Reserve Bank before any change in management or control or ownership of more than 50%;

(c) report to the regional office concerned of the Reserve Bank within a period of 30 days from the end of financial year, any change of director or of a KMP, and events/ information that may affect the 'fit and proper' status of an existing promoter or director or KMP during the year;

(d) report to the regional office concerned of the Reserve Bank, details of investigation initiated against it by the DoE, within 30 days of becoming aware about the investigation.

(7) An authorised person may conduct activities permitted to it under these regulations from any place of business. An authorised person, other than a bank, shall submit to the Reserve Bank, through APConnect[2] application (https://apconnect.rbi.org.in/) information regarding:

(a) conduct of business from any new place (including opening a temporary counter) within seven calendar days of beginning of operations at the new place;

(b) closure of a place of business including that of a temporary counter within seven calendar days of such closure; and

(c) shifting of the registered office, not being a place of business, within seven calendar days of shifting.

(8) An authorised person while dealing in foreign exchange (either directly or through an FxC or Franchisee) shall ensure compliance with sub-section (5) of section 10 of the Act.

(9) An authorisation may be revoked by the Reserve Bank at any time if it is satisfied that:

(a) it is in public interest to do so; or

(b) the authorised person has failed to comply with any condition of authorisation or has contravened any of the provisions of the Act or any rule, regulation, notification, direction or order made thereunder.

Chapter V – Appeal Mechanism

9. Appeal - (1) An applicant whose application for authorisation has been rejected by the Reserve Bank or an authorised person whose authorisation has been revoked, may appeal against the rejection of the application or revocation to the Appellate Authority namely, the Executive Director in charge of the Foreign Exchange Department, Central Office, Reserve Bank of India, Mumbai.

(2) An appeal under sub-regulation (1) shall be filed within forty-five calendar days from the date of receipt of the letter intimating rejection of application or revocation of authorisation.

(3) On receipt of an appeal, the Appellate Authority may, after giving applicant an opportunity of being heard, pass a reasoned order within sixty calendar days from the date of receipt of appeal.

Chapter VI – Forex Correspondent Scheme (FCS)

10. Forex Correspondent - (1) An Authorised Dealer Category-I or an Authorised Dealer Category-II may appoint an entity or entities as agent, known as Forex Correspondent (FxC), for conducting money changing business under a 'principal-agent' model.

(2) An FxC shall be permitted to deal in foreign exchange with any of its customer or with other entities as per the Forex Correspondent Scheme laid out in this chapter.

11. Permitted Activities - An FxC is permitted to undertake the following activities:

(a) Purchase of foreign currency notes/coins and travellers' cheques;

(b) Sale of foreign currency notes/coins and travellers' cheques for foreign travel purposes; and

---

[2] APConnect shall also refer to any other system specified by the Reserve Bank, for the purpose.

(c) Functioning as MTSS sub-agent in accordance with the guidelines on Money Transfer Service Scheme (MTSS).

12. Governance - The principal shall formulate an internal policy for engaging FxCs with the approval of its Board. Such policy shall, *inter alia*, provide for the type of entities it wishes to appoint as FxC, 'fit and proper' criteria for such entities, activities it wants to undertake through FxCs, requirements related to net worth, due diligence, systems and controls, transaction reporting, charges that may be levied by the FxC, customer service and grievance redressal mechanism.

13. Functioning of FxC - (1) All transactions by an FxC under this scheme shall be reflected in the books of account of the principal concerned.

(2) An FxC may act as an agent to more than one authorised dealer.

(3) An FxC, with the approval of its principal, may deal in foreign exchange with any other FxC or an authorised person, which is not its principal.

14. Obligations of the principal - The principal shall:

(a) issue necessary permission to each outlet of the FxC and ensure that a copy of such permission is displayed prominently at respective outlet;

(b) submit details of all FxCs appointed by it, along with their place/s of business, through the APConnect application, to the Reserve Bank, within 15 days from the end of each calendar quarter;

(c) ensure the preservation, protection, security, and confidentiality of customer information in the custody or possession of its FxCs;

(d) ensure that the FxC adheres to rules, regulations and directions governing forex transactions under the Act, as applicable to its principal.

15. Managing outsourcing risks - A non-bank authorised dealer, acting as a principal, irrespective of whether it is an NBFC or not, shall follow the guidelines contained in "Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Companies – Managing Risks on Outsourcing) Directions, 2025".

Chapter VII – Franchisees of Authorised Persons

16. Franchisees - (1) An authorised person shall not enter into any fresh franchisee arrangements in terms of 'Guidelines for Appointment of Agents / Franchisees by AD Category-I, AD Category-II and FFMC', contained in Section III of 'Master Direction – Money Changing Activities' as amended from time to time.

(2) The franchisee arrangements valid as on the date of coming into force of these regulations shall be discontinued within two years from the date of coming into force of these regulations. Thereafter, the franchisees can be appointed as an FxC, subject to conditions laid down under the FCS.

Annex

[Please refer to regulation 3(6)]

1. The applicant shall be a company registered under the Companies Act, 1956/ Companies Act 2013/ Registration of Companies (Sikkim) Act, 1961.

2. The minimum Net Owned Funds (NOF) required for consideration as FFMC are as follows:

Category	**Minimum NOF**
Single branch FFMC	₹25 lakh
Multiple branch FFMC	₹50 lakh
Note: The Net Owned Funds of applicants, other than banks, should be calculated as per the following.	

(a) Owned Funds: (Paid-up Equity Capital + Free reserves + Credit balance in Profit & Loss A/c) minus (Accumulated balance of loss, Deferred revenue expenditure and Other intangible assets)
(b) Net Owned Funds: Owned funds minus the amount of investments in shares of its subsidiaries, companies in the same group, all (other) non-banking financial companies as also the book value of debentures, bonds, outstanding loans and advances made to and deposits with its subsidiaries and companies in the same group in excess of 10 per cent of the Owned funds.

3. 'Fit and proper' criteria for the applicant: If any case by DoE / DRI or any other case by any other law enforcing authorities, is initiated / pending against any company / its directors, the company will not be considered as 'fit and proper' and its application will not be considered for licensing as FFMC.

4. 'Fit and proper' criteria for directors:

(a) The Board of the applicant should undertake a process of due diligence to determine the suitability of the person for appointment / continuing to hold appointment as a director on the Board, based upon qualification, expertise, track record, integrity and other 'fit and proper' criteria. For assessing integrity and suitability, factors like criminal record, if any, financial position, civil action initiated to pursue personal debts, refusal of admission to or expulsion from professional bodies, sanctions imposed by regulators or similar bodies, previous questionable business practices, etc. should be considered. The Board of Directors should assess 'fit and proper' status by calling for information by way of self-declaration, verification reports from market, etc. The applicant should obtain necessary information and declaration from the proposed / existing directors for the purpose as given in the Master direction on Reporting.

(b) The process of due diligence should be undertaken at the time of appointment / renewal of appointment.

(c) The Board of the applicant should constitute Nomination Committees to scrutinise the declarations.

(d) Based on the information provided in the signed declaration, Nomination Committees should decide on the acceptance or otherwise and may make references, where considered necessary to the appropriate authority / persons, to ensure their compliance with the requirements indicated.

(e) The provisions of Companies Act 2013 shall apply with regard to the age of the candidate. Further, the candidate should not be a Member of Parliament / Member of Legislative Assembly / Member of Legislative Council.

5. Comments of respective Departments of the Reserve Bank will be obtained on the operations of an applicant who / whose parent organisation is already licenced / authorised by the Reserve Bank.

6. Documentation: Application in the prescribed form should be submitted along with the following documents:

(a) Copy of the Certificate of Incorporation.

(b) Memorandum and Articles of Association containing a provision for undertaking money changing business or an appropriate amendment to this effect filed with the Company Law Board.

(c) Copy of the latest audited accounts with a certificate from the Statutory Auditors certifying the Net Owned Funds as on the date of application. Copies of the audited Balance Sheet and Profit & Loss Account of the company for the last three years, wherever applicable.

(d) Confidential Report from the applicant's banker in a sealed cover.

(e) A declaration to the effect that no proceedings have been initiated by / are pending with the Directorate of Enforcement (DoE) / Directorate of Revenue Intelligence (DRI) or any other law enforcing authorities, against the applicant company or its directors and that no criminal cases are initiated / pending against the applicant company or its directors.

(f) A declaration to the effect that proper policy framework on KYC guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time will be put in place on obtaining the approval of the Reserve Bank and before commencement of operations.

(g) Details of sister / associated concerns operating in the financial sector, like NBFCs, etc.

(h) A certified copy of the board resolution for undertaking money changing business.

7. Clearance by the Empowered Committee: The request for issuance of FFMC licence would be considered by the regional office concerned of the Reserve Bank on the basis of the clearance by an Empowered Committee, set up for the purpose.

8. Reserve Bank's decision in the matter of granting approval or otherwise will be final and binding.

N. SENTHIL KUMAR, Chief General Manager

[ADVT.-III/4/Exty./70/2026-27]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2026.05.06 10:16:57 +05'30'